रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 395] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 9, 2009/आषाढ़ 18, 1931
No. 395] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 9, 2009/ASADHA 18, 1931

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2009

सा.का.नि. 512(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2009 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-I में,—

(क) क्रम संख्या 39 और इसमें विद्यमान प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा; और

(ख) क्रम संख्या 73 और इसमें विद्यमान प्रविष्टियों में,—

(i) विद्यमान शीर्षक के स्थान पर निम्न शीर्षक रखा जाएगा :—
"भेषज (विनिर्माण और विनिर्मिति) उद्योग"।

(ii) स्तम्भ संख्या 3 और 4 के अधीन, क्रम संख्या (i) तथा (ii) और संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को क्रमशः रखा जाएगा, अर्थात् :—

क्र. सं.	उद्योग	पेरामीटर	मानक
1	2	3	4
			"बहिस्राव मानक
			1. अनिवार्य पेरामीटर
			सान्द्रण सीमा मि.ग्रा./लीटर, pH को छोड़कर
		pH	6.0-8.5
		तेल एवं ग्रीस	10
		BOD (3 दिन 27° सेंटीग्रेड)	100*

3	4
कुल निलम्बित कण	100
बायोएस्से परीक्षण	100% बहिस्राव में 96 घंटे के बाद 90% मछलियां जीवित**
2. अतिरिक्त पेरामीटर	
पारद्	0.01
आर्सेनिक	0.20
क्रोमियम (Cr^{6+})	0.10
लेड	0.10
साइनाइड	0.10
फिनोलिक्स (C_6H_5OH)	1.0
सल्फाइड	2.0
फॉसफेट	5.0

टिप्पण :

* यदि शोधित बहिस्राव सीधे स्वच्छ जल निकायों जैसे नदी, नहर या झील में सीधे विसर्जित कर दिया जाता है तो BOD और COD की सीमाएं क्रमश: 30 मि.ग्रा./लीटर और 250 मि.ग्रा./लीटर होंगी ।

** बायोएस्से परीक्षण IS : 6582-1971 के अनुसार आयोजित किया जाए ।

(i) 'अतिरिक्त पेरामीटरों' के अंतर्गत सूचीबद्ध पेरामीटरों को प्रक्रिया और उत्पाद के अनुसार निर्धारित किया जाए ।

(ii) बहिस्राव में कुल घुलित कणों के लिए सीमाएं संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा प्रापक जल निकाय के अनुसार विहित किया जाए ।"।

[फा. सं. क्यू-15017/34/2006-सी.पी.डब्ल्यू.]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ) तारीख 19 नवम्बर, 1986 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सं. का.आ. 433(अ) तारीख 18 अप्रैल, 1987, सं. का.आ. 64(अ) तारीख 18 जनवरी, 1988, सं. का.आ. 3(अ) तारीख 3 जनवरी, 1989, सं. का.आ. 190(अ) तारीख 15 मार्च, 1989, सं. का.आ. 913(अ) तारीख 24 अक्तूबर, 1989, सं. का.आ. 12(अ) तारीख 8 जनवरी, 1990, सं. का.आ. 742(अ) तारीख 30 अगस्त, 1990, सं. का.आ. 23(अ) तारीख 16 जनवरी, 1991, सं. का.आ. 93(अ) तारीख 21 फरवरी, 1991, सं. का.आ. 95(अ) तारीख 12 फरवरी, 1992, सं. का.आ. 797(अ) तारीख 1 अक्तूबर, 1992, सं. का.आ. 386(अ) तारीख 28 अप्रैल, 1993, सं. का.आ. 422(अ) तारीख 19 मई, 1993, सं. का.आ. 801(अ) तारीख 31 दिसम्बर, 1993, सं. का.आ. 176(अ) तारीख 3 अप्रैल, 1996, सं. का.आ. 631(अ) तारीख 31 अक्तूबर, 1997, सं. का.आ. 504(अ) तारीख 20 अगस्त, 1998, सं. का.आ. 7(अ) तारीख 2 जनवरी, 1999, सं. का.आ. 682(अ) तारीख 6 अक्तूबर, 1999, सं. का.आ. 742(अ) तारीख 25 सितम्बर, 2000, सं. का.आ. 72(अ) तारीख 6 फरवरी, 2001, सं. का.आ. 54(अ) तारीख 22 जनवरी, 2002, सं. का.आ. 371(अ) तारीख 17 मई, 2002, सं. का.आ. 489(अ) तारीख 9 जुलाई, 2002, सं. का.आ. 1088(अ) तारीख 11 अक्तूबर, 2002, सं. का.आ. 849(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2002, सं. का.आ. 520(अ) तारीख 1 जुलाई, 2003, सं. का.आ. 92(अ) तारीख 29 जनवरी, 2004, सं. का.आ. 448(अ) तारीख 12 जुलाई, 2004, शुद्धिपत्र सं. का.आ. 520(अ) तारीख 12 अगस्त, 2004, सं. का.आ. 272(अ) तारीख 5 मई, 2005, सं. का.आ. 315(अ) तारीख 16 मई, 2005, सं. का.आ. 546(अ) तारीख 30 अगस्त, 2005, सं. का.आ. 46(अ) तारीख 3 फरवरी, 2006, सं. का.आ. 464(अ) तारीख 7 अगस्त, 2006, सं. का.आ. 640(अ) तारीख 16 अक्तूबर, 2006, सं. का.आ. 566(अ) तारीख 29 अगस्त, 2007, सं. का.आ. 704(अ) तारीख 12 नवम्बर, 2007, सं. का.आ. 186(अ) तारीख 18 मार्च, 2008, सं. का.आ. 280(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2008, सं. का.आ. 344(अ) तारीख 7 मई, 2008, सं. का.आ. 414(अ) तारीख 30 मई, 2008, सं. का.आ. 481(अ) तारीख 26 जून, 2008, सं. का.आ. 579(अ) तारीख 6 अगस्त, 2008, सं. का.आ. 600(अ) तारीख 18 अगस्त, 2008, सं. का.आ. 752(अ) तारीख 24 अक्तूबर, 2008, सं. का.आ. 844(अ) तारीख 18 फरवरी, 2009, और सं. का.आ. 149(अ) तारीख 4 मार्च, 2009 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, 9th July, 2009

G.S.R. 512(E).—In exercise of the powers conferred by Sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Act, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in schedule I,—

(a) serial number 39 and the entries relating thereto, shall be omitted; and

(b) in serial number 73 and the entries relating thereto,—

(i) for the existing heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Pharmaceutical (Manufacturing and Formulation) Industry."

(ii) for serial numbers (i) and (ii) and the entries relating thereto under columns 3 and 4, the following entries shall respectively be substituted, namely :—

S.No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4

"Effluent Standards

i. Compulsory Parameters

	Limiting concentration in mg/l, expect for pH
pH	6.0-8.5
Oil & grease	10
BOD (3 days 27 °C)	100*
Total suspended solids	100
Bioassay Test	90% survival of fish after first 96 hours in 100% effluent**

ii. Additional Parameters

Mercury	0.01
Arsenic	0.20
Chromium (Cr^{6+})	0.10
Lead	0.10
Cyanide	0.10
Phenolics (C_6H_5OH)	1.0
Sulphides (as S)	2.0
Phosphate (as P)	5.0

Note :

* The BOD and COD limits shall be 30 mg/l and 250 mg/l respectively, if treated effluent is discharged directly into a fresh water body i.e., steam, canal, river or lake.

** The Bioassay Test shall be conducted as per IS : 6582-1971.

IndiaCode

(i) Parameters listed as 'Additional Parameters' shall be prescribed depending upon the process and product.

(ii) Limits for total dissolved solids in effluent shall be prescribed by the concerned pollution control board/pollution control committee depending upon the recipient water body.".

[F.No. Q-15017/34/2006-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note :— The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E) dated 19th November 1986 and subsequently amended *vide* S.O. 433(E) dated 18th April, 1987; S.O. 64(E) dated 18th January, 1988; S.O. 3(E) dated 3rd January, 1989; S.O. 190(E) dated 15th March, 1989; G.S.R. 913(E) dated the 24th October, 1989; S.O. 12(E) dated the 8th January, 1990; G.S.R. 742(E) dated the 30th August, 1990; S.O. 23(E) dated the 16th January, 1991; G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991; G.S.R. 95(E) dated the 12th February, 1992; G.S.R. 329(E) dated the 13th March, 1992; G.S.R. 475(E) dated the 5th May, 1992; G.S.R. 797(E) dated the 1st October, 1992; G.S.R. 386(E) dated the 28th April, 1993; G.S.R. 422(E) dated the 19th May, 1993; G.S.R. 801(E) dated the 31st December, 1993; G.S.R. 176(E) dated the 3rd April, 1996; G.S.R. 631(E) dated the 31st October, 1997; G.S.R. 504(E) dated the 20th August, 1998; G.S.R. 7(E) dated the 2nd January, 1999; G.S.R. 682(E) dated the 6th October, 1999; G.S.R. 742(E) dated the 25th September, 2000; G.S.R. 72(E) dated the 6th February, 2001; G.S.R. 54(E) dated the 22nd January, 2002; G.S.R. 371(E) dated the 17th May, 2002; G.S.R. 489(E) dated the 9th July, 2002; S.O. 1088(E) dated the 11th October, 2002; G.S.R. 849(E) dated the 30th December, 2002; G.S.R. 520(E) dated the 1st July, 2003; G.S.R. 92(E) dated the 29th January, 2004; G.S.R. 448(E) dated the 12th July, 2004; Corrigenda G.S.R. 520(E) dated the 12th August, 2004; G.S.R. 272(E) dated the 5th May, 2005; G.S.R. 315(E) dated the 16th May, 2005; G.S.R. 546(E) dated the 30th August, 2005; G.S.R. 46(E) dated the 3rd February, 2006; G.S.R. 464(E) dated the 7th August, 2006; G.S.R.640(E) dated the 16th October, 2006; G.S.R. 566(E) dated the 29th August, 2007; G.S.R. 704(E) dated the 12th November, 2007; G.S.R. 186(E) dated the 18th March, 2008; G.S.R. 280(E) dated the 11th April, 2008; G.S.R. 344(E) dated the 7th May, 2008; G.S.R. 414(E) dated the 30th May, 2008; G.S.R. 481(E) dated the 26th June, 2008; G.S.R. 579(E) dated the 6th August, 2008; G.S.R. 600(E) dated the 18th August, 2008; G.S.R. 752(E) dated the 24th October, 2008; G.S.R. 97(E) dated the 18th February, 2009 and G.S.R. 149(E) dated the 4th March, 2009.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.